



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:19639

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

रिट ए संख्या. - 2909 सन 2026

रीना मौर्य (PNO.- 192623966)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य ।

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रतीक श्रीवास्तव, अर्चना वर्मा, धनंजय पटेल

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 7

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक श्रीवास्तव और सुश्री अर्चना वर्मा तथा विपक्षी पक्षों के विद्वान राज्य अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।

1A. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान याचिका की प्रार्थना संख्या 1 में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

2. याचिकाकर्ता को 180 दिनों की अवधि के लिए वेतन सहित दूसरी मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए विपक्षी पक्षों को निर्देश देने हेतु याचिका दायर की गई है, जो अधिमानतः 26.03.2026 से प्रभावी हो।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *अनुपम यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है, जो 2022(11) ए.डी.जे. 669 में प्रकाशित हुआ है, अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जो (2019) 3 यूपीएलबीईसी 1741 में प्रकाशित हुआ है, और सताक्षी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जो 2022(10) ए.डी.जे. 333 में प्रकाशित हुआ है*, जिसमें यह माना गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान वितीय हस्तपुस्तिका खंड II भाग II से IV के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे।

4. विद्वान राज्य अधिवक्ता को दिनांक 17.03.2026 के लिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं,

जिसकी प्रति अभिलेख में ले ली गई है और उस आधार पर यह निवेदन किया गया है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के आवेदन पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड II भाग II से IV के विनियम 153 और 154 के मददेनजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जो पहली बार मातृत्व लाभ दिए जाने के 180 दिनों की अवधि के भीतर दूसरा मातृत्व लाभ प्रदान करने पर रोक लगाते हैं।

5. उपर्युक्त पहलू पर इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में, ऊपर उल्लिखित मामलों में पहले ही विचार किया जा चुका है। **अनुपम यादव (उपरोक्त)** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

24. इस प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य ने धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 8.12.2008 के सरकारी आदेश (24.3.2009) के प्रावधानों को जारी कर अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को भी उत्तर प्रदेश राज्य ने दिनांक 11.4.2011 के अपने सरकारी आदेश में अपनाया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। एक बार जब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को अपना लिया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, तो उक्त अधिनियम 1961 पूर्ण रूप से लागू होगा, भले ही वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्रावधानों का कोई महत्व न हो,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो कि केवल एक कार्यकारी निर्देश है और किसी भी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है।

25. अंत में यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को संसद द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रविष्टि 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42 और 43 में बताए गए लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए तथा संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में निहित प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधान केवल कार्यकारी निर्देश हैं और संसद के अधिनियम के अधीन होंगे। किसी भी असंगति की स्थिति में, संसद द्वारा निर्मित वैधानिक अधिनियम प्रभावी होगा। अतः, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों पर अधिभावी होंगे। फलस्वरूप, वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड II से IV के नियम 153 (1) के प्रावधानों को दूसरी गर्भावस्था के संबंध में महिला को अवकाश की स्वीकार्यता के संदर्भ में कम करके पड़ा जाता है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा, न कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड II से IV के नियम 153 (1) द्वारा। राज्य सरकार ने पहले ही मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को अपना लिया है, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज किया गया है और अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में एकल पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 3486/2019 में पारित किया गया है, यह स्पष्ट है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान किसी भी कानून पर प्रभावी होंगे।

26. विचाराधीन मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर मातृत्व अवकाश को केवल "अनुमन्य नहीं" कहकर अस्वीकार कर दिया गया है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 153(1) के दूसरे प्रावधान के तहत लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है, जिसके अनुसार प्रथम मातृत्व अवकाश की समाप्ति और द्वितीय मातृत्व अवकाश के अनुदान के बीच दो वर्ष से कम का अंतर होने पर द्वितीय मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया और 4.1.2021 को एक लड़के को जन्म दिया। याचिकाकर्ता फिर से गर्भवती हुई और 11.6.2022 को उसने फिर से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता के द्वितीय मातृत्व अवकाश को विवादित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि, चूंकि 1961 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बुनियादी शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता की छुट्टी अस्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की, विशेष रूप से तब जब 1961 अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी अन्य कानून या सेवा अनुबंध में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद, 1961 अधिनियम ही लागू होगा।”

6. उपरोक्त तर्क को इस न्यायालय की समवर्ती पीठों ने अन्य दो निर्णयों में भी दर्शाया है, जिसमें कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान, लाभकारी कानून होने के नाते, वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों पर अधिभावी होंगे। यह विशेष रूप से कहा गया है कि प्रथम मातृत्व अवकाश स्वीकृत होने के दो वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है।
7. चूंकि याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई न करने के कारण लिखित निर्देशों में ही स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, इसलिए किसी भी प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता के बिना, विशेष रूप से स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, याचिका पर प्रवेश स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है।
8. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपरोक्त पहलुओं के संबंध में इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्णय सुनाए जाने के बावजूद, राज्य के अधिकारी वित्तीय हस्तपुस्तिका पर भरोसा करते हुए 180

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनों की अवधि के भीतर द्वितीय मातृत्व लाभ प्रदान करने के आवेदनों को बार-बार अस्वीकार कर रहे हैं।

9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सिविल सचिवालय, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी विभागों को उचित निर्देश जारी करे, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद, पहली बार मातृत्व लाभ दिए जाने के दो वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व लाभ दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पहले मातृत्व लाभ दिए जाने के 180 दिनों के भीतर मातृत्व लाभ के लिए किसी अन्य आवेदन को केवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के विनियम 153 और 154 के आधार पर अस्वीकार न किया जाए। इस आदेश की प्रमाणित प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय के माध्यम से विपक्षी पार्टी संख्या 1 को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विपक्षी पार्टी संख्या 4, अर्थात् पुलिस उपायुक्त, लखनऊ (पूर्व), पुलिस आयुक्त कार्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार 26.03.2026 से प्रभावी द्वितीय मातृत्व अवकाश सवैतनिक प्रदान करने के लिए उचित आदेश जारी करें। इस आदेश की प्रमाणित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रति विपक्षी पार्टी संख्या 4 को तामील किए जाने की तिथि से दस दिनों के भीतर उचित निर्देश जारी किए जाएं।

11. परिणामस्वरूप, याचिका प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार कर ली जाती है। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करना होगा।

(न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर)

आदेश दिनांक: - 18.मार्च.2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।